



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241428
CG-DL-E-27122022-241428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5809]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944

No. 5809]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSHA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6052(अ).—यत केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कच्चा तेल/ गैस /पानी परिवहन के लिए (1) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#50 (2) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM TAP OF POINT MPH TO WELL#50 TO WELL#261 तक पाइपलाइन ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को उस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव है, और जो इस अधिसूचना के उपबन्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के असाधारण राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाने के अधिकार के अर्जन के लिए **सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, ओ.एन.जी.सी परिसर, अंकलेश्वर-393010 (गुजरात)** को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विदिनिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा।

अनुसूची

क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे/ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#50					
तालुका : हांसोट		जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
1	दीगस	365 (ओ.एन.जी.सी.)	00	73	96
		332 (ओ.एन.जी.सी.)	00	03	37
4"Ø EFFLUENT LINE FROM TAP OF POINT MPH TO WELL#50 TO WELL#261					
2	दीगस	368	00	00	79
		370	00	17	65

[फा. नं. इएक्सपीएल-11032(11)/95/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी] (इ-45247)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6052(E).—WHEREAS, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Crude Oil/Gas/Water from (1) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#50 (2) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM TAP OF POINT MPH TO WELL#50 TO WELL#261 should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto:—

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

PROVIDED THAT ANY person interested in the land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd. ONGC CAMPUS, ANKLESHWAR ASSET, ANKLESHWAR-390010 (Gujarat).

AND every person making such objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Survey/Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#50					
TALUKA: HANSOT		DISTRICT: BHARUCH	SATATE: GUJARAT		
1	DIGAS	365 (ONGC)	00	73	96
		332 (ONGC)	00	03	37
4"Ø EFFLUENT LINE FROM TAP OF POINT MPH TO WELL#50 TO WELL#261					
2	DIGAS	368	00	00	79
		370	00	17	65

[F. No. Expl-11032(11)/95/2022-EXPL-I-PNG] (E- 45247)]

R. K. KUREEL, Director